UPMT010043522026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1908/2026
नरेश प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 92/2026, धारा 310(2),317(2),61 भारतीय न्याय संहिता, थाना सुरीर, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **नरेश** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 23/24.04.2026 की मध्य रात्रि को वादी अजय अग्रवाल के मकान में आंगन में लगे लोहे के जाल को खोलकर 5 अज्ञात बदमाशों ने नीचे उतरकर, वादी, उसके पिता प्रेम प्रकाश, पत्नी अनीता व पुत्री उमा को जगाकर तमंचे की नोंक पर बंधक बनाकर मुंह में कपड़ा ठूंस देना, वादी के घर के कमरे में रखी अलमारी व दुकान के गल्ले से तीन लाख बाइस हजार रूपये के अलावा अलमारी के लॉकर में रखे करीब दस से बारह लाख के जेवरात के साथ हाथ में पहनी दो अगूंठियां, पत्नी के कानों के कुण्डल व दो अंगूठी उतरवाकर, वादी व उसके पिता का मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए छत के रास्ते से भाग जाना, आक्षेपित है।

थाना पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने पर आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी किये गये सामान में से एक जोड़ी कुण्डल पीली धातु, एक अंगूठी मटमैले रंग की एक जोड़ी पायजेब सफेद धातु बरामद किया जाना आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा श्रीमती शिमला में मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको गलत एवं झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई और जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। कथित घटना दिनांक 23/24.04.2026 की मध्य रात्रि को आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार के साथ राजस्थान में खाटू श्याम के दर्शन करने गया था व वहीं रूका था। आवेदक/अभियुक्त से एक अंगूठी, एक जोड़ी पायजेब, 7 गोल्डफलेक सिगरेट की डिब्बी व 12500/– रूपये बरामद दिखाये हैं। आवेदक/अभियुक्त से पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त पर उक्त घटना की रैकी करने का आरोप है जो गलत है। आवेदक/अभियुक्त किसी भी सी०सी०टी०वी० कैमरे में रैकी करते हुए नहीं दिखाया गया है। कथित घटना का कोई निष्पक्ष व स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। कथित घटना से आवेदक/अभियुक्त का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। वह दिनांक 10.05.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उनको दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि सहअभियुक्त मुन्ना के द्वारा अभियुक्त को बताया गया कि टैंटीगांव के एक अजय सेठ के घर मे काफी माल है, जिसका मकान गांव के बाहरी किनारे पर घटना करने के लिए सुरक्षित है। दिनांक 21/22.04.2026 की शाम को मुन्ना, नरेश व सुभाष रैकी करने के लिए टैटीगांव

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.15 13:29:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आये। तब सुभाष ने प्लान के तहत दिनांक 23.04.2026 को अपने गैंग के धर्मवीर उर्फ लम्बू, राजेन्द्र उर्फ पप्पू, शेर सिंह, शंकर पहलवान, टीटू, शहनवाज, धारा व शत्रु आदि सदस्यों को अपने घर खैर में इकटठा किया, वहां से योजना बनाकर टैम्पू से देर शाम टैटीगांव से पहले उतरकर रात्रि में जंगल के रास्ते अजय सेठ के घर पहुंचे। धारा, शेर सिंह, टीटू व शत्रु छत पर व पीछे की तरफ निगरानी करते रहे तथा शेष धर्मवीर उर्फ लम्बू, राजेन्द्र उर्फ पप्पू, सुभाष, शंकर पहलवान, व शहनवाज छत से उतरकर घर के अन्दर चले गये तथा डकैती की घटना को अंजाम दिया। उपरोक्त लूटे गये सामान की बरामदगी आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण से पुलिस द्वारा की गयी है।

दौरान विवेचना सी०सी०टी०वी० फुटेज वादी व उसके परिवारीजन को दिखाये जाने पर अभियुक्तगण की पहचान की गयी, जिसके आधार पर आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है।

आवेदक/अभियुक्त पेशेवर अपराधी है, उसका आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

6– आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पूर्व योजना बनाकर, रात्रि में वादी के घर में छत से जाल तोड़कर घुसकर डकैती कारित करते हुए वादी के घर के कमरे में रखी अलमारी व दुकान के गल्ले से तीन लाख बाइस हजार रूपये के अलावा अलमारी के लॉकर में रखे करीब दस से बारह लाख के जेवरात के साथ वादी के हाथ में पहनी दो अगूंठियां, पत्नी के कानों के कुण्डल व दो अंगूठी उतरवाकर, वादी व उसके पिता का मोबाइल छीनकर ले जाना आक्षेपित है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से उक्त घटना से सम्बन्धित कुछ नकदी, अंगूठी, पायजेब, सिगरेट के पैकेट आदि सामान बरामद होना तथा मामले के सहअभियुक्तगण से भी घटना से सम्बन्धित नकद रूपये व सामान बरामद होना बताया गया है। सी०सी०टी०वी० फुटेज के आधार पर अभियुक्तगण की पहचान किया जाना बताया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

स्वीकृत रूप से आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है और उसकी ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–15.06.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.ए.